

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>19.08.2020</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने उप. होकर रैस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से बकलातनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। अपीलांत अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.08.2020 को अपील जरिये विड्रोल खारिज करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया लेकिन प्रकरण में रैस्पोंडेंट द्वारा प्रत्याक्षेप दिनांक 19.06.2020 को पेश होने से प्रकरण में रैस्पोंडेंट को सुनना न्यायोचित है। अतः मैने स्वयं ने अपीलांत अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोधरा के मोबाईल नं. 9414493674 पर प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के लेड लाईन नं. 029912541259 से फोन करके सूचित किया कि प्रकरण को सुनवाई हेतु मुख्यालय जोधपुर दिनांक 26.08.2020 को रखा गया है। यदि उन्हें इस बाबत कुछ कहना है या पक्ष रखना है तो उपस्थित रहें। पत्रावली मुख्यालय जोधपुर पर दिनांक 26.08.2020 को पेश हो।</p>	
<p>26.8.2020</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। रैस्पोंडेंट वकील उपस्थित। अपीलांत अधिवक्ता को सूचना दिए जाने के बाद भी वे आज उपस्थित नहीं हैं। लिहाजा जागगी तारीख को जे. 2/9/2020 को रैस्पोंडेंट की जे.स- वकील पर दंडित कदम हेतु पत्रावली पेश हो।</p>	<p>26.8.2020</p>
<p>21/9/2020</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उत्रमपत्र के अधिवक्ता गप। उत्रमपत्र के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहल सुनी गई। अधिवक्ता उत्रमपत्र उकलण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली वाले मीदेश दिनांक 09/09/2020 को मुख्यालय जोधपुर पर पेश हो।</p>	
<p>09/09/2020</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्रमपत्र की पत्रावली पर दिनांक 02/09/2020 को सुनी गई। अधिवक्ता उत्रमपत्र ने बहल करने हुए सहमति जाहिर की। पत्रावली अधीनस्थ</p>	



8-70
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ज्ञायातय को रिमाण्ड की जाये मत
 मायिकत नुनयपत्र की बरख पुन
 एवं सरमति के मद्देनयल अपील
 आंशिके स्वीकार कर अमधीनय
 ज्ञायातय को पारि डिली रिमां
 08/05/2018 को मपास्त करे हुए
 प्रकण अधीनय ज्ञायातय को
 इय निर्देश के साथ रिमाण्ड
 मिला जाता है कि दोनों पक्षों को
 जवान, माय प्रस्तुत करने का
 अवसर देने हुए पुनः विधि
 समत निर्णय पारि को
 पत्रावली के लल हुए मल
 नमर से इन दोष
 बाद तमनीन दायिले इपेर
 को मादेय से इजल/म
 पुनाया गया /



9/5/2018
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर